मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

Community Mediation

सामुदायिक मध्यस्थता

574,साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाषः (0761) 2678352, 2624131 फैक्सः 2678537
वेबसाइट : www. mpslsa.gov.in ईमेल : mplsajab@nic.in हेल्पलाइन नं. : 15100

What is mediation?

Mediation is a voluntary process in which a third person known as mediator helps the parties at dispute to reach a decision which is acceptable by parties at dispute.

What is Community mediation?

In compliance of the resolution passed in the meeting of the Main Mediation Monitoring Committee (MMMC) dated February 24, 2020, the Community Mediation Program was started in the state of Madhya Pradesh and implemented jointly by Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPSLSA) and Main Mediation Monitoring Committee (MMMC).

Under community mediation volunteers sponsored by social groups are trained by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority to mediate and settle disputes arising between parties in the society.

Importance of Community Mediation.

In every society there may be disputes between individuals and groups. Citizens may not be aware of resources within themselves to resolve the conflict. In such situation trained volunteers from the community itself can maintain harmony and peace in society by settling the disputes at grass root level.

Community Mediation Volunteers (CMVs)

Community Mediation Volunteers are nominated by various social, religious, cultural groups and organizations such as N.S.S., Muslim, Christian, Parsi, Residence associations etc. These nominated community mediation volunteers are imparted with 20 hours mediation training by M.P. State Legal Services Authority, Jabalpur.

Qualification of community mediation volunteer.

1. Persons aged above 25,
2. Preferably graduates,
3. Persons having good reputation in society, interested in social well being and having no criminal antecedent.

Role of a community mediation volunteer

1. The MPSLSA trained CMVs are deputed at the Community Mediation Centre.
2. Any individual or group who has any sort of conflict can approach the concerning Community Mediation Centers.
3. The CMV at the Centre shall ensure presence of the opposing party, mediate the conflict and try to resolve the conflict in a mutually acceptable manner to both sides; a settlement agreement, if necessary, also can be executed.
4. CMVs can suo moto also, on getting information about conflict between individuals, groups or organizations, initiate mediation by approaching the parties of particular who are in conflict.
5. They shall mediate the matter purely as volunteers of SSO, within their community.

Confidentiality of the community mediation process.

1. Community Mediation Volunteer having personal interest shall not act as mediator in the conflict. If interested in the conflict the CMV must disclose it at the outset.
2. Parties shall not call the Community Mediation Volunteer who mediated in a conflict as witness in any judicial proceeding arising out of the conflict which was mediated by the CMV.
3. Community Mediation Volunteer shall always keep the information confidential, received from the parties.

Community Mediation settlement, if remains for execution

As far as possible Community Mediation Volunteers (CMV) shall try to settle the conflict completely without leaving anything for execution. If anything requires execution, either party can file a pre-litigation petition (PLP) before DLSA. Thereafter, it is to be referred to the Lok Adalat – an award is to be passed in terms of the settlement agreement which can be executed.

Benefits of Community Mediation

1. The parties do not have to approach the court to settle their dispute.
2. Saving of time and expenses.
3. Quick resolution of dispute.
4. Sweetness in mutual relations
5. Decision by the parties themselves
6. Resolution of party's one dispute as well as other disputes.

Place of Community Mediation Process.

Preferably, process of community mediation is conducted at Community Mediation Centers. These community mediation centers having necessary basic facilities are established by sponsored social organization

Increasing steps in the field of community mediation with participation of different communities

At present, under community mediation, from different districts of Madhya Pradesh 344 community mediation volunteers of 36 communities like Nema, Gond, Jain, Kayastha, Yadav, Pasi, Katiya, Kshatriya, Muslim, Meena, Bengali, Brahmin, Bohra, Balmiki, Kori, Bairava, Gujarati, Agarwal, Sikh, Gahoi, Ahirwar, Dasora, Sen, Christian, Jaiswal, Sindhu, Balai, Maheshwari, Majhi, Maharashtrian, Rabidas, Teli, Punjabi, Vaishya, Jatav, Sindh have been provided 20 hours training by Madhya Pradesh State Legal Services Authority.

For more information

At High Court Level

Secretary, High Court Legal Services Committee and Distict Legal Aid Officer.

At District Level

Chairman, Secretary District Legal Services Authority and District Legal Aid Officer

At Tehsil Level

Chairman, Tehsil Legal Services Committee or Co-ordinator Mediation Center.

मध्यस्थता क्या है?

मध्यस्थता एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें एक तीसरा व्यक्ति जिसे मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है, विवाद में शामिल पक्षों को ऐसे निर्णय पर पहुंचने में मदद करता है जो विवाद के पक्षकारों को स्वीकार्य हो।

सामुदायिक मध्यस्थता क्या है?

मुख्य मीडिएशन निगरानी समिति (MMMC) की बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2020 में पारित संकल्प के अनुपालन में सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम मध्यप्रदेश राज्य में प्रारम्भ किया गया, जिसे मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (MPSLSA) और मुख्य मध्यस्थता निगरानी समिति (MMMC) द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित और कार्यान्वित किया गया।

सामुदायिक मध्यस्थता के अंतर्गत सामाजिक समूहों द्वारा प्रायोजित स्वयंसेवकों को म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रशिक्षित किया जाकर समाज में पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों की मध्यस्थता और निपटान का कार्य किया जाता है।

सामुदायिक मध्यस्थता की महत्ता

समुदाय में व्यक्तियों और समूहों के बीच विवाद हो सकता है, नागरिकों को विवाद को हल करने के लिए संसाधनों की जानकारी नहीं होती है, उस स्थिति में समुदाय के मध्य का ही 'प्रषिक्षित मध्यस्थ' उत्पन्न विवाद को जमीनी स्तर पर ही सुलझा कर समाज में समरसता एवं शान्ति बनाये रख सकता है।

सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक (CMV)

विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समूह तथा संगठन जैसे N.S.S., मुस्लिम, क्रिस्चियन, पारसी रेजीडेंस एसोसिऐशन, इत्यादि द्वारा सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक को नामांकित किया जाता है और नामांकित स्वयंसेवक मध्यस्थता की तकनीक एवं कौशल के संबंध में 20 घण्टे का प्रशिक्षण म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त कर सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते है।

सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक की योग्यता

1. 25 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति,
2. अधिमानतः स्नातक,
3. समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होने और सामाजिक भलाई में रुचि रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी मामले में आपराधिक प्रतिशोधी नामांकित नहीं किया गया है।

सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक की भूमिका

1. म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक को सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र द्वारा प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।
2. कोई भी व्यक्ति या समूह जिसके पास किसी भी प्रकार का विवाद है, वह सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक से संपर्क कर सकता है।
3. सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक विरोधी पक्ष की उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा, विवाद में मध्यस्थता करेगा और दोनों पक्षों के बीच परस्पर स्वीकार्य तरीके से विवाद को हल करने का प्रयास करेगा या निपटान समझौता, यदि आवश्यक हो, तो निष्पादित भी किया जा सकता है।
4. इसी तरह, सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक, समूहों या संगठनों के बीच विवाद के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विवाद में पक्षकारों से संपर्क करके मध्यस्थता शुरू कर सकते हैं।
5. वे इस मामले को पूरी तरह से प्रायोजन सामाजिक संगठन के स्वयंसेवकों के रूप में अपने समुदाय के भीतर मध्यस्थता करेंगे।

सामुदायिक मध्यस्थता प्रक्रिया की गोपनीयता

1 सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक व्यक्तिगत हित वाले विवाद में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेंगे। यदि विवाद में कोई दिलचस्पी हो तो शुरू में ही प्रकट करना चाहिए।

2. पक्षकार सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक जिन्होंने विवाद में मध्यस्थता की हो, को किसी भी न्यायिक कार्यवाही के गवाह के रूप में नहीं बुलाएंगे।

3 सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक हमेशा पक्षकारों से प्राप्त जानकारी को गोपनीय रखेगें।

सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से पूर्ण रूप से निपटान न होने पर प्रक्रिया

जहां तक संभव हो सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक (CMV) निष्पादन के लिए कुछ भी छोड़े बिना विवाद को पूरी तरह से निपटाने की कोशिश करेगें, यदि किसी विषय पर अमल की जरूरत होती है, उस स्थिति में किसी भी पक्षकार द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्री–लिटिगेशन पिटीशन (PLP) दाखिल किया जा सकता है, तत्पश्चात उसे लोक अदालत में भेजा जाएगा और निपटान समझौते के संदर्भ में एक पंचाट (award) पारित किया जाकर उसका निष्पादन किया जा सकता है।

सामुदायिक मध्यस्थता के लाभ

1. पार्टियों को अदालत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है।
2. समय और खर्च की बचत
3. विवाद का त्वरित समाधान
4. आपसी संबंधों में मधुरता
5. पार्टियों द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाना
6. पक्षकार के एक विवाद के साथ–साथ अन्य विवादों का भी समाधान।

सामुदायिक मध्यस्थता की कार्यवाही का स्थान

सामान्यतः सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र, जो प्रायोजित सामाजिक संगठन (SSO) द्वारा आवश्यक मूलभूत सुविधाओं सहित स्थापित किया जाता है, में पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही संचालित की जाती है ।

विभिन्न समुदायों की भागीदारी के साथ सामुदायिक मध्यस्थता के क्षेत्र में बढ़ते हुये कदमः–

वर्तमान में सामुदायिक मध्यस्थता के अंतर्गत म.प्र. के विभिन्न जिलों के 36 समुदायों जैसे नेमा, गोंड़, जैन, कायस्थ, यादव, पासी, कतिया, क्षत्रिय, मुस्लिम, मीना, बंगाली, ब्राम्हण, बोहरा, बाल्मीकि, कोरी, बैरवा, गुजराती, अग्रवाल, सिख, गहोई, अहिरवार, दसोरा, सेन, क्रिश्चन, जायसवाल, सिन्धु, बलई, माहेश्वरी, माझी, महाराष्ट्रीयन, रविदास, तेली, पंजाबी, वैश्य, जाटव, सिंधी के कुल 344 सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवको को म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 20 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनके द्वारा सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते हुए मध्यस्थता की कार्यवाही संपादित की जा रही है ।

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें

उच्च न्यायालय स्तर पर

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से

जिला स्तर पर

प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से

तहसील स्तर पर

व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति से।